भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

नई दिल्ली, तारीख 24 जुलाई, 1984

अधिसूचना

आयकर

का०आ० 527 (अ) : केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयकर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आयकर (दूसरा संशोधन) नियम, 1984 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. आयकर नियम, 1962 में, ---

(क) नियम 122 में, "धारा 281क की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन आयकर अधिकारी" शब्दों, कोष्ठकों, अक्षरों और अंकों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे, अर्थात् :- "धारा 281क की उपधारा (1) या उपधारा (1क) या उपधारा (1ख) के अधीन आयुक्त" ;

(ख) नियम 123 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"123 कतिपय सूचनाओं की प्रमाणित प्रतियां अभिप्राप्त करने के लिए आवेदन